संख्या: 67/2018/1307/छप्पन/2018-71/2017

प्रेषक,

सूर्य पाल गंगवार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
गाजियाबाद।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ: दिनांक 27 जून, 2018

विषय: हिंडन सिविल टर्मिनल को शीघ्रतापूर्वक विकसित किए जाने के लिए कतिपय कार्यों हेतु जिलाधिकारी, गाजियाबाद को अधिकृत किया जाना।

महोदया,

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के प्रस्ताव पर गाजियाबाद स्थित भारतीय वायुसेना के हिंडन एयरबेस को आर0 सी0 एस0 उड़ानों के लिए उपयोग करने हेतु ले-आउट प्लान के अनुसार चिन्हित भूमि लीज पर लेकर एक अस्थाई सिविल एन्क्लेव विकसित किए जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त निर्णय के अनुपालन में हिंडन सिविल टर्मिनल को शीघ्रतापूर्वक विकसित किए जाने के लिए राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित कार्य प्राथमिकता पर संपन्न किए जाने हैं:-

(1) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा सिविल टर्मिनल के निर्माण हेतु ले-आउट प्लान के अनुसार निजी भू-स्वामियों की भूमि राज्य सरकार द्वारा लीज पर लिया जाना जिसके लीज रेन्ट का भुगतान भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा।

(2) सिकन्दरपुर मार्ग से हिण्डन सिविल टर्मिनल तक जाने वाले लगभग 650 मी0 टू-लेन सम्पर्क मार्ग हेतु निजी भू-स्वामियों की भूमि लीज पर लिया जाना तथा सम्पर्क मार्ग का निर्माण।

2- मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक दिनांक 19 अप्रैल, 2018 एवं बैठक दिनांक 29 मई, 2018 में लिए गए निर्णयों (प्रतिलिपि संलग्न) के अनुक्रम में राज्य सरकार के नागरिक उड्डयन विभाग एवं भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के मध्य निष्पादित होने वाले मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का आलेख्य तैयार कर लिया गया है। उक्त आलेख्य की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सिविल टर्मिनल के लिए चिन्हित निजी भू-स्वामियों की भूमि को लीज पर लिए जाने और लीज डीड सम्पादित करने हेतु जिलाधिकारी, गाजियाबाद को अधिकृत किया जाता है। कृपया इस सम्बन्ध में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से समन्वय स्थापित करते हुए आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

2/--

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- यह भी अनुरोध है कि यथा निर्णय सिकन्दरपुर मार्ग से हिण्डन सिविल टर्मिनल तक जाने वाले लगभग 650 मी0 टू-लेन सम्पर्क मार्ग निर्माण करने हेतु भूमि की प्रतिवर्ष लीज का आकलन, लीज डीड का प्रारूप तथा सम्पर्क मार्ग निर्माण की लागत का आगणन प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा लोक निर्माण विभाग को भेजे गए एतदविषयक प्रस्ताव से सम्बन्धित पत्र संख्या- 66/2018/1308/छप्पन-2018-71/2017 दिनांक 27 जून, 2018 की प्रतिलिपि संलग्न है।

संलग्नक- यथोक्त

भवदीय,
सूर्य पाल गंगवार
विशेष सचिव

पृ0संख्या: 67/2018/1307(1)/छप्पन-2018-तद्दिनांक

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- अध्यक्ष, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग एयरपोर्ट, नई दिल्ली।

2- प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।

सूर्य पाल गंगवार
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।